उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

संख्या-97/2022/I/199840/2022-71-2001/486/2019

लखनऊः दिनांक 08 अगस्त, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम-1994 (यथा संशोधित 1995 , 2011) में विहित प्राविधानों तथा मानव अंग और उतक प्रतिरोपण नियम-2014 की धारा 12(बी) के अनुसार प्रदेश में मानव अंग एवं उतक प्रत्यारोपण हेतु दानकर्ता (Donor) एवं प्राप्तकर्ता (Receiver) द्वारा किये जाने वाले आवेदनों पर विचार कर निर्णय लिये जाने हेतु समुचित प्रधिकारी, महानिदेशक , चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पत्र संख्या-एम0ई0-3/2022/1256, दिनांक 27.05.2022 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में जे0पी0 हास्पिटल, नोएडा, उ0प्र0 में शासनादेश संख्या-655/71-2-2016-पी-14/96टी0सी0, दिनांक 04.05.2016 (यथा संशोधित दिनांक 06.06.2017 एवं 08.03.2019) द्वारा गठित अस्पताल आधारित प्राधिकार समिति को संशोधित करते हुए निम्नानुसार पुनर्गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रमांक	नाम/पदनाम	प्रास्थिति
1	2	3
1	डा0 अनिल कुमार कुमाऊनी, सी0ओ0ओ0, जे0पी0 हास्पिटल, नोएडा (पदेन)	अध्यक्ष
2	डा0 सुव्रत आर्य, सीनियर कंसल्टेंट, रूमैटोलाजी, जे0पी0 हास्पिटल, नोएडा	सदस्य
	डा0 अभिषेक गुलिया, सीनियर कंसल्टेंट, रेडिएशन आंकोलाजी, जे0पी0 हास्पिटल, नोएडा।	सदस्य
3	डा0 सुभाष चन्द्रा सिंघल सेवानिवृत्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोएडा।	सदस्य
	डा0 रीता बाधवा एक्स0 सीनियर कंसल्टेंट, आई0एम0ए0 मेम्बर, नोएडा।	सदस्य
4	सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से संबंधित जनपद के अथवा निकटतम राजकीय या स्वशासी मेडिकल कालेज/चिकित्सा संस्थान के प्रधानाचार्य/निदेशक द्वारा नामित आचार्य (पदेन)	सदस्य
	महानिदेशक , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें की ओर से नामित अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर (पदेन)	सदस्य

2- उपर्युक्तानुसार गठित की जाने वाली अस्पताल आधारित प्राधिकार समिति के कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नवत् होंगे:-

1. किसी मानव अंग के निकाले जाने और प्रतिरोपण के लिये अनुमोदन प्रदान करने हेतु दाता और प्राप्तकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से अस्पताल आधारित प्राधिकार समिति के समक्ष किये गये आवेदन पर प्राधिकार समिति द्वारा मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम-1994 (यथा संशोधित 1995 , 2011) तथा मानव अंग और उतक प्रतिरोपण नियम-2014 में विहित प्राविधानों के अनुसार विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. अस्पताल आधारित प्राधिकार समिति द्वारा मानव अंग प्रत्यारोपण संबंधी आवेदनों पर लिये गये निर्णयों की मासिक सूचना समुचित प्राधिकारी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।।
3. प्रदेश के समस्त जनपदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित होने वाली जिला प्राधिकार समिति में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के प्रतिनिधि के रूप में नामित संबंधित जनपद के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (पदेन) गठित होने वाली अस्पताल आधारित प्राधिकार समिति में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ की ओर से नामित पदेन सदस्य होंगे।
4. अस्पताल आधारित प्राधिकार समिति में सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से संबंधित जनपद के अथवा निकटतम राजकीय या स्वशासी मेडिकल कालेज/चिकित्सा संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य/ निदेशक/कुलपति द्वारा किसी आचार्य (पदेन) को सदस्य नामित किया जायेगा।
5. अस्पताल आधारित प्राधिकार समिति के निर्णय के विरूद्ध अपील का निस्तारण राज्य प्राधिकार समिति द्वारा किया जायेगा।

(श्रुति सिंह)
सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार:-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, मेरठ, उ0प्र0।
4. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0।
6. निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
7. निदेशक, बाल रोग चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।
8. प्रधानाचार्य, मेडिकल कोलज, मेरठ।
9. निदेशक, जे0पी0 हास्पिटल, सेक्टर-128, नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।